संख्या-2/2015/एफ0सी0/186/दस-2015-06/2015

प्रेषक,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2- सचिव, नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2015**

विषय : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के कार्यवाही-ज्ञापन में संशोधन।

महोदय,

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज् एवं स्थानीय निकाय) उ0प्र0 की संस्तुतियां वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2015/एफ0सी0-88/दस-2015-06/2015 दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा लागू की गयीं । आयोग की संस्तुति संख्या-53 (शहरी निकायों की तीन श्रेणियों के मध्य आवंटन) एवं 55 (आडिट अनुशासन के लिए दस प्रतिशत अंतरण रोकना) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या-53 के अन्तर्गत शहरी निकायों को अन्तरित होने वाले भाग में से नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को क्रमश: 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अंश अन्तरित किया जाय ।

(2) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या-55 के अन्तर्गत नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आडिट अनुशासन के लिये 10 प्रतिशत अन्तरण की धनराशि रोकने के स्थान पर 5 प्रतिशत अन्तरण की धनराशि रोकी जाय। संस्तुति में दी गयी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(3) उक्त संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू होंगे ।

2- अत: उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31-03-2015 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

भवदीय,

राहुल भटनागर
वित्त आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, वित्त।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/एफ0सी0/186(1)/दस-2015-06/2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी (सहकारी समिति एवं पंचायतें) उत्तर प्रदेश ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/8 ।
8- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग ।
9- वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।